

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1471
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

इंद्रावती बांध में पानी की उपलब्धता

1471. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा इंद्रावती बांध में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मरम्मत की आवश्यकता है;
- (ख) क्या सरकार के पास इंद्रावती बांध के लिए कोई भावी परियोजना या निवेश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा ओडिशा में धान के उत्पादन के लिए गर्मियों में पानी के उपयोग हेतु कई स्थानों पर नदियों पर बैराज होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा नदियों को साफ करने और उनका अच्छा अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार इंद्रावती बांध अच्छी स्थिति में है और इस समय इसमें कोई बड़ी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। जल की उपलब्धता, इसके जलग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षापात पर निर्भर करती है। दिनांक 06.02.2025 तक, इंद्रावती जलाशय में उपलब्ध जल भंडारण, उनकी सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 44% है।

इस समय इंद्रावती बांध के लिए किसी भावी परियोजनाओं या निवेशों का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में विभिन्न नदियों पर 27 बैराजों की योजना बनाई गई है ताकि गर्मियों में धान उत्पादन और अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने राज्य में अलग-अलग नदियों पर विभिन्न इन-स्ट्रीम स्टोरेज परियोजनाओं की भी योजना बनाई है ताकि पीने और भूजल पुनर्भरण के उद्देश्यों के लिए गर्मियों में पर्याप्त जल का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।

(घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उनके प्रदूषण श्रेणी के आकलन के अनुसार ओडिशा में नदियों के प्रदूषण वाले खंडों की पहचान और उनकी प्राथमिकता तय की गई है। वर्ष 2019 और 2021 के दौरान ओडिशा में 133 स्थानों पर 50 नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी की गई थी। सीपीसीबी के प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 19 पीआरएस थे, जो अब वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 7 रह गए हैं। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 31.07.2024 की अधिसूचना के माध्यम से महानदी संरक्षण पर एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।
